1.2

Government Sant Rameshwar Gahira Guru Ji College

Prospectus 2015-16

परम पूज्य श्री गहिरा गुरुजी महाराज

Bagicha, Distt.- Jashpur (C.G.)
Tel- 07769-210234

Establishment Year - 2007-08

Government Sant Rameshwar Gahira Guru Ji College

Bagicha, Distt.- Jashpur (C.G.) Tel- 07769-210234

Establishment Year - 2007-08

शासकीय संत रामेश्वर गहिरा गुरु जी महाविद्यालय बगीचा

जिला- जशपुर नगर (छ.ग.)

प्रवेश विवरणिका

ADMISSION & INFORMATION BROCHURE

2017-2018

GOVT. SANT RAMESHWAR GAHIRA GURU JI COLLEGE
BAGICHA DISTT- JASHPUR (C.G.)
TEL-07769-210234

विषय-सूची

विषय		पेज संख्या
1.	महाविद्यालय का परिचय	01
2.	महाविद्यालय मे शासन द्वारा प्रवेश संबंधी नियम	01
3.	संस्था में स्नातक कक्षाओ के संकाय एवं विषय समूह	13
4.	राष्ट्रीय सेवा योजना	13
5.	शुल्क विवरण	14
6.	महाविद्यालय का सेटअप के अनुसार पदों की जानकारी	15
7.	महाविद्यालय स्टाफ	16
8.	छ0ग0 के शासकीय महाविद्यालय में विद्यार्थियों के लिये	17
	अ. आचार संहिता	
	ब. परीक्षा संबंधी नियम	
	स. आंतरिक परीक्षाओं का समय सारिणी कार्यक्रम	
9.	छत्तीसगढ़ शासन की छात्रवृत्तियां	18
10.	छात्रावास	19

रैगिंग

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 27.11.06 संदर्भ एस0एल0पी0 2495/06 केरल विश्वविद्यालय विरूध्द महाविद्यालय प्राचार्य की परिषद तथा एस0एल0पी0 क्रमांक 24296–242992/2004डब्ल्यू0पी0(सी0आर0सी)173/2006 तथा एस0एल0पी0 14356/2005 के अनुसार रैगिंग एक दण्डनीय अपराध है। महाविद्यालय या अन्यत्र कही भी रैगिंग लेना पूरी तरह प्रतिबंधित है रैगिंग के लिये दोषी विद्यार्थी को महाविद्यालय से निष्कासित किया जाकर उसके विरूध्द कठोर निषेधात्मक वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। वरिष्ठ विद्यार्थी इसका ध्यान रखें।

महाविद्यालय का परिचय

छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा सत्र 2007-2008 से शासकीय महाविद्यालय बगीचा प्रारंभ किया गया। जो कि सरगुजा विश्वविद्यालय से संबद्ध है। जिसका शुभारंभ माननीय श्री गणेश राम जी तत्कालीन आदिम जाति कल्याण, पर्यावरण एवं आवास मंत्री छ.ग. शासन द्वारा 10 अगस्त 2007 को किया गया। प्रारंभ में महाविद्यालय आदिम जाति कल्याण विभाग के बालक प्राथमिक शाला, कुटमकेला बगीचा में संचालित था। वर्तमान में महाविद्यालय भवन बगीचा से 5 किमी. दूर [illegible] मार्ग पर रायकेरा चौक के पास स्थित है। छ.ग. में बगीचा पर्यटन की दृष्टि से काफी उन्नत व समृद्ध है। यहां मुख्यालय से मात्र 2 कि. पर राजपुरी जलप्रपात स्थित है तथा 28 किमी. पर प्रसिद्ध कैलाश गुफा अवस्थित है। पठारी भाग में पाठ पर मां खुड़िया रानी की गुफा स्थित है। सत्र 2088-09 में सुदूर वनांचल क्षेत्र में समाज सेवा के क्षेत्र में अग्रणी संत परमेश्वर गहिरा गुरु जी महाविद्यालय बगीचा किया गया है। परम पूज्य श्री गहिरा गुरु जी महाराज का जीवन निष्काम कर्मयोग की प्रतिमूर्ति है। उन्होंने जीवन पर्यंत समाज की उपेक्षित पीड़ित एवं गरीब वर्गों की सेवा की एवं आध्यात्मिकता का अलख जगाया। वे इस क्षेत्र के ही नहीं अपितु संपूर्ण छत्तीसगढ़ वनवासियों के आदर्श है।

छत्तीसगढ़ शासन

उच्च शिक्षा विभाग

: मंत्रालय :

महानदी भवन,नया रायपुर

क्र0 / 2636 / 2282 / 2014 / 38-2 रायपुर दिनांक
-04.07.2015

प्रति,

उच्च शिक्षा संचालनालय,
इन्द्रावती भवन
नया रायपुर (छ0ग0)

विषय :- छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थाओं के लिए सत्र 2015-16 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत तैयार करने बाबत्।

----000000----

विषयान्तर्गत छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थाओं के लिए शैक्षणिक सत्र 2015-16 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत की एक प्रति संलग्न प्रेषित है। कृपया सभी संबंधित संस्थाओं को मार्गदर्शिका की प्रति उपलब्ध कराते हुए मार्गदर्शिका में दिए गए प्रावधानों का कड़ाई से पालन किये जाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

2/ निर्देशानुसार सूचित है कि प्रकरण के संबंध में आवश्यक कार्यवाही कर,की गई कार्यवाही से इस विभाग को अवगत कराने का कष्ट करें।

(श्रीमती दुर्गा देवांगन)
अपर सचिव
छ0ग0 शासन,उच्च शिक्षा विभाग

पृ0क्र0 / 2636 / 2282 / 2014 / 38-2 रायपुर दिनांक - 07.2015

प्रतिलिपि :-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नया रायपुर
2. सचिव छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ।
3. आदेश फोल्डर।

अपर सचिव
छ0ग0 शासन,उच्च शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर दिनांक -04.07.2015

क्र0/2636/2282/2014/38-2
प्रति,

उच्च शिक्षा संचालनालय,
इन्द्रावती भवन
नया रायपुर (छ0ग0)

विषय - छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थाओं के लिए सत्र 2015-16 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत तैयार करने बाबत्।

---000000---

विषयान्तर्गत छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थाओं के लिए शैक्षणिक सत्र 2015-16 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत की एक प्रति संलग्न प्रेषित है। कृपया सभी संबंधित संस्थाओं को मार्गदर्शिका की प्रति उपलब्ध कराते हुए मार्गदर्शिका में दिए गए प्रावधानों का कड़ाई से पालन किये जाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

2/ निर्देशानुसार सूचित है कि प्रकरण के संबंध में आवश्यक कार्यवाही कर, की गई कार्यवाही से इस विभाग को अवगत कराने का कष्ट करें।

(श्रीमती दुर्गा दयांगन)
अपर सचिव
छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग

पृ0क्र0/2636/2282/2014/38-2

रायपुर दिनांक - 07.2015

प्रतिलिपि :-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नया रायपुर
2. सचिव छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ।
3. आदेश फोल्डर।

अपर सचिव
छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन

उच्च शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ के शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों की स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत

सत्र 2015-16

1. प्रस्तावित-

1.1 ये मार्गदर्शक सिद्धांत छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों में छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 के तहत अध्यादेश क्रमांक 6 एवं 7 के प्रावधान के साथ सहपठित करते हुए लागू होंगे तथा समस्त प्राचार्य इनका पालन सुनिश्चित करेंगे।

1.2 प्रवेश के नियमों को शासकीय तथा अशासकीय महाविद्यालयों को कड़ाई से पालन करना होगा। प्रवेश से आशय स्नातक कक्षा के प्रथम वर्ष अथवा प्रथम सेमेस्टर तथा स्नातकोत्तर कक्षा के पूर्व अथवा प्रथम सेमेस्टर से है।

2 प्रवेश तिथि:-

2.1 प्रवेश हेतु आवेदन पत्र जमा करना:

आवेदक द्वारा महाविद्यालय में प्रवेश के लिए प्राचार्य द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र, समस्त प्रमाण पत्रों सहित निर्धारित दिनांक तक महाविद्यालय में जमा किये जायेंगें। विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश के लिए जमा करने की अंतिम तिथि की सूचना महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सूचना पटल पर कम से कम सात दिन पूर्व लगाई जायेगी। प्रवेश हेतु बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा अंकसूची प्रदान किये जाने के स्थिति में पूर्व संस्था के संबंधित प्राचार्य द्वारा प्रमाणित किये जाने पर बिना अंकसूची के आवेदन पत्र जमा किये जावे।

2.2 प्रवेश हेतु अंतिम तिथि निर्धारित करना:-

स्थानान्तरण प्रकरण को छोड़कर 31 जुलाई तक प्राचार्य स्वयं तथा 14 जुलाई तक कुलपति की अनुमति से प्राचार्य प्रवेश देने में सक्षम होंगें। परीक्षा परिणाम विलम्ब से घोषित होने की स्थिति में प्रवेश की अंतिम तिथि महाविद्यालय में परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से 15 दिन तक जो पहले हो मान्य होगी। कंडिका 5.1 (क) में उल्लेखित, कर्मचारियों के स्थानान्तरित होने पर प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद प्रवेश चाहने वाले उनके पुत्र-पुत्रियों को स्थान रिक्त करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना एवं आवेदक का प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अन्य महाविद्यालय में प्रवेश होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जावेगा।

स्पष्टीकरण:-

आवेदक 'क' ने किसी अन्यत्र स्थान (अ) के महाविद्यालय में निम्नानुसार किसी कक्षा में प्रवेश लिया था। उसके बाद उसके पालक का स्थानान्तरण स्थान 'ब' में हो गया, इस स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में अब वह प्रवेश लेना चाहता है, रिक्त स्थान होने पर ही उसे प्रवेश दिया जावेगा। आवेदक (ख) ने स्थान (अ) में जहाँ उसके पालक कार्यरत् थे, किसी भी महाविद्यालय में प्रवेश नही लिया किन्तु पालक के स्थान (ब) पर स्थानान्तरण होते ही, स्थान महाविद्यालय में प्रवेश नही लिया किन्तु पालक के स्थान (ब) पर स्थानान्तरण होते ही, स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है, अतः अब प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि निकल जाने के बाद आवेदक (ख) को प्रवेश नही दिया जा सकता।

2.3 पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्रों के लिए प्रवेश की अंतिम तिथि निर्धारित करना:-

विधि संकाय के अतिरिक्त अन्य संकायों के पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण को पुनर्मूल्यांकन के परिणाम घोषित होने के 15 दिन तक, संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति की अनुमति के पश्चात् गुणानुक्रम में आने पर प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु विधि संकाय की कक्षाओं में गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश की पात्रता होने पर भी महाविद्यालय में स्थान रिक्त होने पर ही प्रवेश दिया जावेगा। 12 वीं कक्षा में पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं को भी स्थान रिक्त होने पर नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

3. प्रवेश संख्या का निर्धारण

3.1 महाविद्यालयों में उपलब्ध साधनों तथा कक्षा में बैठने की व्यवस्था, प्रयोगशाला में उपलब्ध उपकरण / उपयोग योग्य
सामग्री एवं स्टाफ की उपलब्धता आदि के आधार पर पूर्व में दी गई छात्र संख्या (सीट) के अनुसार ही विभिन्न कक्षाओं के
लिए छात्रों को प्रवेश दिया जायेगा। यदि प्राचार्य महाविद्यालय में प्रवेश हेतु छात्र संख्या में सीट की वृद्धि चाहते है तो वे 30
अप्रैल तक अपना प्रस्ताव उच्च संचालनालय को प्रेषित करें तथा "उच्च शिक्षा संचालनालय / उच्च शिक्षा विभाग से
अनुमति प्राप्त होने पर ही बढ़े हुए स्थान के अनुसार प्रवेश की कार्यवाही करें।"

3.2 विधि स्नातक प्रथम,द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की कक्षाओं में बार कौंसिल द्वारा निर्धारित मापदण्डो के अनुसार अधिकतम
80 विद्यार्थियों को ही प्रत्येक सेक्शन (अधिकतम 4 सेक्शन) में प्रवेश गुणानुक्रम के आधार पर दिया जाये। सम्बद्ध
विश्वविद्यालय / स्वशासी महाविद्यालय द्वारा प्रत्येक कक्षा के लिए अध्यापन के विषय / विषय समूह का निर्धारण किया
गया है। प्राचार्य अपने महाविद्यालयों में उन्हीं निर्धारित विषय / विषय समूह में निर्धारित प्रवेश संख्या के अनुसार ही प्रत्येक
कक्षा में आवेदकों को प्रवेश देंगें।

4. प्रवेश सूची-

4.1 प्राचार्य द्वारा प्रवेश शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि की सूचना देते हुए,प्रवेश हेतु चयनित विद्यार्थियों की
अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांकों एवं जहाँ अधिभार देय है,वहां अधिभार देकर कुल प्राप्तांको की गुणानुक्रम सूची, प्रतिशत
अंक सहित,सूचना पटल पर लगाई जायेगी।

4.2 प्रवेश समिति द्वारा आवश्यक संलग्न प्रमाण पत्रों की प्रतियों को मूल प्रमाण पत्रों से मिलान कर प्रमाणित किये जाने एवं
स्थानान्तरण प्रमाण पत्र की मूल प्रति जमा करने के पश्चात् ही प्रवेश शुल्क जमा करने की अनुमति दी जायेगी। प्रवेश देने
के तत्काल बाद स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र पर "प्रवेश दिया गया" का मोहर लगाकर उसे रद्द करना चाहियें।

4.3 निर्धारित शुल्क जमा करने पर ही महाविद्यालय में प्रवेश मान्य होगा। प्रवेश के पश्चात् स्थानान्तरण प्रमाण-पत्रा की मूल
प्रति को निरस्त की सील लगाकर अनिवार्य रुप से निरस्त कर दिया जाये। घोषित प्रवेश सूची की शुल्क करने की
अंतिम तिथि के बाद स्थान रिक्त होने पर सभी कक्षाओं में नियमानुसार विलम्ब शुल्क रुपये 100/- अशासकीय मद
में अतिरिक्त रुप से वसूला जायेगा, तथापि ऐसे प्रकरणों में 31 जुलाई के पश्चात् प्रवेश की अनुमति नही दी जायेगी।

4.5 स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र की द्वितीय प्रति (डुप्लीकेट) के आधार पर प्रवेश नही दिया जाये। स्थानान्तरण प्रमात्र-पत्र खो
जाने की स्थिति में, विद्यार्थी द्वारा निकटतम पुलिस थाने में एफ.आई.आर. दर्ज किया जाये। पुलिस थाने की रिपोर्ट एवं
पूर्व प्रवेश प्राप्त संस्था से अधिकृत रिपोर्ट जिसमें मूल स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र का अनुक्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख हो,
प्राप्त होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जा सकता है। इसे हेतु विद्यार्थी से वचन पत्रा लिया जाये।

4.6 महाविद्यालय के प्राचार्य स्थानान्तरण-प्रमाण-पत्रा जीरी करने के साथ-साथ छात्रा से संबंधित गोपनीय रिपोर्ट जारी
करेंगे। कि संबंधित छात्रा रेंगिंग / अनुशासनहीनता / तोड़फोड़ आदि में संलिप्त है या नही। ऐसे गोपनीय रिपोर्ट को
सीलबन्द लिफाफे में बंद कर उस महाविद्यालय के प्राचार्य को प्रेषित करेंगें। जहां की छात्र / छात्रा ने प्रवेश के लिए
आवेदन किया है।

4.7 छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक 2653/2014/38-1 दिनांक 10.09.2014
अनुसार "राज्य शासन, एतद् द्वारा, शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत् स्नातक स्तर की छात्राओं को शैक्षणिक सत्र
2014-15 से शिक्षण शुल्क से छूट प्रदान करता है।" का पालन किया जाए।

5 प्रवेश की पात्रता :-

5.1 निवासी एवं अहंकारी परीक्षा :-

(क) छत्तीसगढ़ के मूल / स्थायी, छत्तीसगढ़ में स्थायी संपत्तिधारी निवासी / राज्य या केन्द्र सरकार के शासकीय कर्मचारी, अर्द्धशासकीय कर्मचारी तथा प्राईवेट लिमिटेड कंपनी के कर्मचारी, राष्ट्रीयकृत बैंकों के तथा भारत सरकार द्वारा संचालित व्यवसायिक संगठनों के कर्मचारी जिनका पदांकन छत्तीसगढ़ में है, उनके पुत्र / पुत्रियों एवं जम्मू काश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को ही महाविद्यालय में प्रवेश दिया जायेगा। उपरोक्तानुसार,प्रवेश देने के पश्चात् भी स्थान रिक्त होने पर अन्य राज्यों को मान्यता प्राप्त बोर्ड एवं अहंकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को नियमानुसार गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश दिया जा सकता है।

(ख) संबद्ध विश्वविद्यालय से या सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों से अहंकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को ही महाविद्यालय में प्रवेश की पात्रता होगी।

(ग) आवश्यकतानुसार संबंधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही आवेदक को प्रवेश प्रदान किया जाये।

5.2 स्नातक स्तर,नियमित प्रवेश

(क) 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को स्नातक प्रथम वर्ष प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु वाणिज्य और कला संकाय के आवेदको को विज्ञान संकाय में प्रवेश नही दिया जायेगा। बी.एस.सी (गृह विज्ञान) प्रथम वर्ष में किसी भी संकाय से उत्तीर्ण छात्र को प्रवेश की पात्रता होगी।

(ख) स्नातक स्तर पर प्रथम / द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उन्ही विषयों की क्रमशः द्वितीय / तृतीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। स्नातक द्वितीय स्तर पर विषय परिवर्तन की पात्रता नही होगी।

5.3 स्नातकोत्तर स्तर नियमित प्रवेश :-

(क) बी.कॉम. / बी.एस.सी. (गृह विज्ञान) / बी.ए. स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः एम.कॉम. / एम.एस.सी. (गृह विज्ञान) / एम.ए -पूर्व / प्रथम सेमेस्टर एवं अहंकारी विषय लेकर, बी.एस.सी. उत्तीर्ण आवेदकों को एम.एस.सी. / एम.ए पूर्व मे नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

(ख) स्नातकोत्तर प्रथमवर्ष / प्रथम सेमेस्टर उत्तीर्ण आवेदकों को उसी विषय के स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। सेमेस्टर पद्धति की, पूर्व अहंकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को अगले सेमेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

(ग) स्नात्कोत्तर कक्षाओं हेतु ए.टी.के.टी (Allowed To Keep Terms) नियम :-

1. स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता रखने वाले आवेदकों को प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व प्रावधिक प्रवेश लेना अनिवार्य है।

2. स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर में ए.टी.के.टी.(Allowed To Keep Terms)नियमों के अनुसार पात्र आवेदकों को अगले सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता होगी।

5.4 विधि संकाय नियमित प्रवेश :-

(क) स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को विधि स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

(ख) विधि स्नातकपरीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को एल.एल.एम. प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

(ग) एल.एल.बी. प्रथम सेमेस्टर एवं एल.एल.एम. प्रथम सेमेस्टर परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः एल.एल.बी. द्वितीयसेमेस्टर एवं एल.एल.एम. द्वितीय सेमेस्टर में प्रवेश की पात्रता होगी। इसी प्रकार तृतीय, चतुर्थ, पंचम सेमेस्टर में भी प्रवेश की यही प्रक्रिया लागू होगा।

5.5 प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम अंक सीमा :

(क) विधि स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु न्यूनतम अंक सीमा 45% (अनुसूचित जन जाति / अनुसूचित जाति हेतु 40%) होगी। विधि स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध में 55% अंक प्राप्त आवेदकों को ही नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

5.6 AICTE/NCTE/BAR COUNCIL OF INDIA/MEDICAL COUNCIL OF INDIA से अनुमोदित पाठ्यक्रमों में प्रवेश / संचालन पर संबंधित संस्था के प्रावधान प्रभावी होंगे।

6. समकक्ष परीक्षा :-

6.1 सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन (सी.बी.एस.सी.) इंडियन कौंसिल फार सेकेण्डरी एजुकेशन (आई.सी.एस.ई.) तथा अन्य राज्यों के विद्यालयों / इंटरमीडिएट बोर्ड की 10+2 की परीक्षाएं माध्यमिक शिक्षा मण्डल की 10+2 परीक्षा के समकक्ष मान्य है। प्राचार्य, मान्य बोर्ड की सूची सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से प्राप्त कर सकते है।

6.2 सामान्यतः भारत में स्थित विश्वविद्यालयों जो भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटी) के सदस्य है, उनकी समस्त परीक्षाएं छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालय की परीक्षा के समकक्ष मान्य है। ऐसे विश्वविद्यालय (IGNOU को छोड़कर) जो दूरवर्ती पाठ्यक्रम संचालित करते है, किन्तु राज्य शासन से अनुमति प्राप्त नहीं है, की परीक्षाएं मान्य नहीं है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के किसी भी विश्वविद्यालय अथवा शैक्षणिक संस्था को छत्तीसगढ़ राज्य में अध्ययनरत् केन्द्र / ऑफ कैम्पस आदि खोलकर छात्र / छात्राओं को प्रवेश देने / डिग्री देने की मान्यता नहीं है तथा ऐसी संस्थाओं से डिग्री / डिप्लोमा वैधानिक रुप से मान्य नहीं होगा।

6.3 सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय का शिक्षण संस्थाओं की सूची एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय जारी फर्जी अथवा मान्यता विहीन विश्वविद्यालयों या शिक्षण संस्थाओं जिनकी उपाधि मान्य नहीं है, की जानकारी प्राचार्य सम्बद्ध विश्वविद्यालय से प्राप्त करें।

6.4 वर्ष 2012 में प्रारंभ किये गए एनवीईक्यूएफ (National Vocational Education Qualification Framwork) के अन्तर्गत उत्तीर्ण आवेदकों को विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों में दाखिलों के लिए अन्य सामान्य विषयों की तुलना में समतुल्य प्राथमिकता प्रदान की जावे।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक 1-52 / 2013 (सीसी / एनएसक्यूएफ) अप्रैल 2014 के अनुसार-

"जैसा कि आपको ज्ञात है आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय कौशल अर्हता संरचना (एनएसक्यूएफ) में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय व्यवसायिक शैक्षणिक अर्हता संरचना (एनएसक्यूएफ) में सूत्रबद्ध किये गये समस्त महत्वपूर्ण तथ्यों को निगमित किया गया है। जैसा कि एनएसक्यूएफ में अधिसूचित किया गया है। कि यह 1 से 10 स्तर तक के प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराता है जिनमें स्तर 5 से स्तर 10 तक के प्रमाण पत्र उच्च शिक्षा से एवं स्तर 1 से 4 तक के प्रमाण पत्र स्कूली शिक्षा के क्षेत्रा से संबंद्ध है। वर्ष 2012 में प्रारम्भ किये गये एनएसक्यूएफ के अनुसरण में कुछ स्कूल बोर्डों द्वारा छात्रों को पाठ्यक्रम प्रस्तावित किये गये और एनएसक्यूएफ के अन्तर्गत छात्रों को समतुल्य / समस्तरीय प्रमाण-पत्र प्रदान किये जा रहे है। ऐसे छात्रा एनएसक्यूएफ के स्तर 4 के प्रमाणित स्तर सहित 10+2 शिक्षा को वर्ष 2014 तक सफल कर पायेगें। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने आशंका जताई है कि ऐसे छात्रा जो विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में स्नातक पूर्व किसी पाठ्यक्रम में दाखिला लेने के इच्छुक है तथा जिनके पास 10+2 स्तर में व्यवसायिक विषय थे वे अलाभकारी स्थिति में होगें। अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि जिस समय छात्रों द्वारा विश्वविद्यालय एवं विश्वविद्यालय में अन्य किसी भी स्नातकपूर्व पाठ्यक्रमों में दाखिलों के लिए प्रयास किये जा रहे हों तो उस समय ऐसे विषयों को अन्य सामान्य विषयों की तुलना में समतुल्य प्राथमिकता प्रदान की जाये, ताकि उन छात्रों को क्षैतिजिक गत्यात्मक के लिए सुअवसर मिल सके।"

7 अन्य आवेदकों का प्रवेश-

7.1 स्नातक स्तर तक बी.ए. / बी.कॉम. / बी.एस.सी. / बी.एच.एस.सी. में एकीकृत पाठ्यक्रम लागू होने से छत्तीसगढ़ के किसी भी विश्वविद्यालय / स्वशासी महाविद्यालय से प्रथम द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः द्वितीय / तृतीय वर्ष में प्रवेश की पात्रता है किन्तु सम्बद्ध विश्वविद्यालय / स्वशासी महाविद्यालय में पढ़ाये जा रहे विषयों / विषय समूहों में आवेदकों ने पिछली परीक्षा दी हो इसका परीक्षण करने के पश्चात् ही नियमित प्रवेश दिया जावे। आवश्यक हो तो विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण-पत्र अवश्य लिया जाये।

7.2 छत्तीसगढ़ के बाहर स्थित विश्वविद्यालय / स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातक स्तर की प्रथम / द्वितीय परीक्षा अन्य विश्वविद्यालय / स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातकोत्तर पूर्व की परीक्षा या प्रथम, द्वितीय, तृतीय सेमेस्टर परीक्षा एवं विधि स्नातक स्तर की प्रथम / द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उनके द्वारा सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से पात्रता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही उन्हीं विषयों / विषय समूह की अगली कक्षा में नियमित प्रवेश दिया जावे। राज्य के बाहर के विद्यार्थियों को निर्धारित प्रारूप में एक शपथ पत्र देना होगा किसी भी प्रकार की झूठी / गलत जानकारी पाए जाने पर सम्बंधित विद्यार्थी को प्रवेश निरस्त करते हुए उसे प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय में प्रवेश से वंचित कर दिया जाएगा। अन्य राज्य के आवेदकों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का प्रमाणीकरण संबंधित बोर्ड / विश्वविद्यालय से कराया जाना अनिवार्य है।

7.3 विज्ञान एवं अन्य प्रायोगिक विषयों में स्थायी आवेदकों को स्थान रिक्त होने पर तथा महाविद्यालय के भूतपूर्व छात्रों को 30 नवम्बर तक, निर्धारित शुल्क लेकर मात्र प्रायोगिक कार्य करने की अनुमति प्राचार्य द्वारा दी जा सकती है।

8 अस्थायी प्रवेश की पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अस्थायी प्रवेश लेना अनिवार्य होगा-

8.1 102 तथा स्नातक स्तर की प्रथम / द्वितीय वर्ष की परीक्षा में पूरक परीक्षा (कम्पार्टमेंट) प्राप्त नियमित आवेदकों को अगली कक्षा में स्थान रिक्त होने पर अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

8.2 स्नातकोत्तर सेमेस्टर प्रथम / द्वितीय / तृतीय में पूरक / एटी-केटी प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

8.3 विधि स्नातक प्रथम / द्वितीय वर्ष में निर्धारित एग्रीगेट 48 प्रतिशत् पूरा न करने वाले या पूरक प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

8.4 उपरोक्त कंडिका 7 के खण्ड 1 एवं 2 के आवेदकों को स्थायी प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। पूरक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश प्राप्त छात्र / छात्राओं का अस्थायी प्रवेश स्वतः निरस्त हो जायेगा। उत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश नियमित प्रवेश के रूप में मान्य किया जावेगा।

9 प्रवेश हेतु अर्हताएं:-

9.1 किसी भी महाविद्यालय / विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के किसी संकाय में प्रवेश प्राप्त छात्र / छात्राओं को उसी संकाय के उसी कक्षा में पुनः नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।
यदि किसी छात्रा ने पूर्व सत्र में आवेदित कक्षा में नियमित प्रवेश नहीं लिया हो तो ऐसा आवेदक नियमित प्रवेश हेतु अनर्ह नहीं नहीं माना जावेगा, उसे मात्र मूल स्थानान्तरण प्रमाण -पत्र तथा शपथ -पत्र जिससे प्रमाणित हो सके कि पूर्व में उसने प्रवेश नहीं लिया है, के आधार पर ही नियमानुसार प्रवेश दिया जावेगा।

9.2 जिनके विरुद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया हो या न्यायालय में अपराधिक प्रकरण चल रहे हों, परीक्षा में या पूर्व सत्र में छात्रों / अधिकारियों / कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार / मारपीट करने के गंभीर आरोप हो / चेतावनी के बाद भी सुधार परिलक्षित नहीं हुआ हो, ऐसे छात्र / छात्राओं का प्रवेश निरस्त करने / प्रवेश न देने के लिए प्राचार्य अधिकृत है।

9.3 महाविद्यालय में तोड़फोड़ करने और महाविद्यालय की संपत्ति को नष्ट करने वाले / रैगिंग के आरोपी छात्र / छात्राओं का प्रवेश निरस्त करने / प्रवेश न देने के लिए प्राचार्य अधिकृत है। प्राचार्य इस हेतु समिति गठित कर जांच करवाये एवं जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रवेश निरस्त किया जाये। ऐसे छात्र-छात्राओं को छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी शासकीय / अशासकीय महाविद्यालय में प्रवेश न दिया जावे।

प्रवेश हेतु आयु-सीमा :-

(क) स्नातक प्रथम वर्ष में 22 वर्ष एवं स्नातकोत्तर पूर्वार्ध / प्रथम सेमेस्टर में 27 वर्ष से अधिक आयु के आवेदक को प्रवेश की पात्रता नही होगी। आयु की गणना आवेदित वर्ष के एक जुलाई की स्थिति में की जायेगी। डिप्लोमा एवं स्नातकोत्तर डिप्लोमा में प्रवेश हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा सामान्यतः 27 वर्ष मान्य की जाएगी।

(ख) आयु सीमा का बंधन किसी भी राज्य सरकार / भारत सरकार के मंत्रालय / कार्यालय तथा उसके द्वारा नियंत्रित संस्थाओं द्वारा प्रायोजित व अनुशंसित प्रत्याशियों, भारत सरकार द्वारा आयोजित अथवा किसी विदेश सरकार द्वारा अनुशंसित विदेश से अध्ययन हेतु भेजे गये छात्रों अथवा विदेश से अध्ययन के लिए विदेशी मुद्रा में पेमेंटसीट पर अध्ययन करने वाले छात्रों पर लागू नही होगा।

(ग) विधि संकाय में प्रवेश हेतु अधिकतम आयु सीमा का प्रावधान समाप्त किया जाता है।

(घ) संस्कृत महाविद्यालय में प्रवेश हेतु स्नातक प्रथम वर्ष में 25 वर्ष तथा स्नोतकोत्तर पूर्व / प्रथम सेमेस्टर में 27 वर्ष से अधिक वर्ष वाले आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नही होगी।

(ड) विधि संकाय को छोड़कर अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / पिछड़ावर्ग / नि शक्त अभ्यर्थी / महिला आवेदाकें के लिए आयु सीमा मे 03 वर्ष की छूट रहेगी।

पूर्णकालिक शासकीय / अशासकीय सेवारत् कर्मचारी की उसकी दैनिक कार्य की अवधि में लगने वाले महाविद्यालय में नियमित प्रवेश की पात्राता नही होगी। दैनिक कर्तव्य अवधि के उपरान्त लगने वाले महाविद्यालय में प्रवेश हुत आवेदन करने पर आवेदक द्वारा नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही प्रवेश दिया जावेगा।

9.6 किसी संकाय में स्नातक उपाधि प्राप्त छात्र / छात्राओं को किसी अन्य संकायो में स्नातक पाठ्यक्रम में नियमित प्रवेश की पात्रता नही होगी।

10. प्रवेश हेतु गुणानुक्रम का निर्धारण :-

10.1 उपलब्ध स्थानों से अधिक आवेदक होने पर प्रवेश निम्नानुसार गुणानुक्रम से किया जायेगा।

(क) स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा के प्रापतंक एवं अधिभार देय है तो अधिभार जोड़कर प्राप्त कुल प्रतिशत् अको के आधार पर तथा

(ख) विधि स्नातक प्रथम वर्ष में संबद्ध विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा का प्रावधान हो तो विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित माण्दण्डों के अनुसार होगी।

10.2 अनारक्षित एवं आरक्षित श्रेणी के लिए अलग-अलग गुणानुक्रम से किया जायेगा।

11. प्रवेश हेतु प्राथमिकता :-

11.1 प्रथम वर्ष स्नातक / स्नातकोत्तर विधि कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार अर्हकारी परीक्षा में नियमित / भूतपूर्व नियमित परीक्षार्थी / स्वाध्यायी उत्तीर्ण छात्रों के क्रमानुसार रहेगा।

11.2 स्नातक / स्नातकोत्तर अगली कक्षा में प्राथमिकत का आधार अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित / उत्तीर्ण भूतपूर्व नियमित / एक वष में पूरक प्राप्त पूर्व सत्रा के नियमित / स्वाध्यायी विद्यार्थियों के क्रम में होगा।

11.3 विधि संकाय की अगली कक्षाओं में पूरक छात्रों के पहले उत्तीर्ण परन्तु 48 एग्रीगेट प्राप्त करने वाले छात्रों को प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जावे, अन्य क्रम यथावत रहेगा।

11.4 आवेदक द्वारा अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने के स्थान अथवा उसके निवास स्थान / तहीसल / जिला में स्थित या आसपास के अन्य जिले के पनीपरस्थ स्थानों पर स्थित महाविद्यालयों में आवेदित विषय / विषय समूह के अध्यापन की सुविधा होने पर ऐसे आवेदकों के आवेदन पर विचार न करते हुए उस विषय / विषय समूह में प्राचार्य द्वारा अपने नगर / तहसिल / जिलों की सीमा से लगे अन्य जिलों के समीपरस्थ स्थानों के आवेदकों को प्राथमिकता देते हुए प्रवेश दिया जावे आवेदक के निवास स्थान / तहसिल / जिलों में स्थित या

आसपास के अन्य जिलों के समीपस्थ स्थित महाविद्यालय में आवेदित विषय / विषय समूह के अध्ययन की सुविधा नही होने पर उसे गुणानुक्रम से प्रवेश दिया जावेगा। स्थान रिक्त रहने पर गुणानुक्रम में आने पर पुरे प्रदेश के छात्रों को पूरे प्रदेश में प्रवेश की पात्रता होगी।

11.5 परन्तु उपरोक्त प्रावधान स्ववित्तपोषी महाविद्यालयों के लिए लागू नही होगा, किसी एक विषय की स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी को अन्य विषय की स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश महाविद्यालय में स्थान रिक्त रहने की स्थिति में ही दिया जा सकेगा।

12 आरक्षण-छत्तीसगढ़ शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप निम्नानुसार होगा:-

12.1 प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में प्रवेश में सीटों का आरक्षण तथा किसी शैक्षणिक संस्था में इसका विस्तार निम्नलिखित रिति से होगा, अर्थात:-

(क) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से बत्तीस प्रतिशत् सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रहेंगी।

(ख) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से बारह प्रतिशत् सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित रहेंगी।

(ग) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से चौदह प्रतिशत् सीटें अन्य पिछडे वर्गो के लिए आरक्षित रहेंगी।

परन्तु जहा अनुसूचित जनजातियों के लिए पात्रा विद्यार्थियों की अनुपलब्धता के कारण अंतिम तिथि(यों) पर रिक्त रह जाती है तो इसे अनुसूचित जातियों से तथा विपरित क्रम में पात्र विद्यार्थियों में से भरा जायेगा।

परन्तु यह और की पूर्वगामी परन्तुक में निर्दिष्ट व्यवस्था के पश्चात् भी जहा खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन आरक्षित सीटें अंतिम तिथि(यों) पर रिक्त रह जाती है, तो इसे अन्य पात्र विद्यार्थियों से भरा जायेगा।

12.2 (1) बिन्दु क्र. 12.1के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन उपलब्ध सीटों का आरक्षण उर्ध्वाधर (वर्टीकल) रूप से अवधारित किया जएगा।

(2) निःशक्त व्यक्तियों,महिलाओं,भूतपूर्व कर्मियों,स्वतंत्राता संग्राम सेनानियों के बच्चों या व्यक्तियों के अन्य विशेष वर्गो के संबंध में क्षैतिज आरक्षण का प्रतिशत् ऐसा होगा जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित किया जाये तथा यह बिन्दु क्र. 12.1 के खण्ड (क) ,(ख) तथा (ग) के अधीन यथास्थिति, उर्ध्वाधर आरक्षण के भीतर होगा।

12.3 स्वतंत्राता संग्राम सेनानियों के पुत्र-पुत्रियों तथा निःशक्त श्रेणी के आवेदको के लिये संयुक्त रूप से 3 प्रतिशत् स्थान आरक्षित रहेगें। निःशक्त श्रेणी के आवेदकों के प्राप्तांकों को 10 प्रतिशत् अंकों का अधिभार देकर दोनों वर्गो का सम्मिलित गुणानुक्रम निर्धारित किया जावेगा।

12.4 सभी वर्गो में उपलब्ध स्थानों में से 30 प्रतिशत् स्थान छात्राओं के लिये आरक्षित रहेगें।

12.5 आरक्षित वर्ग का कोई उम्मीदवार अधिक अंक पाने के कारण आरक्षित श्रेणी ओपन काम्पीटीशन में नियमानुसार मेरिट सूची में रखा जाता है, तो आरक्षित श्रेणी की सीटें यथावत् अप्रभावी रहेगी,परन्तु ऐस विद्यार्थी किसी संवर्ग जैसे-स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि का भी है तो संवर्ग की यह सीट उस आरक्षित श्रेणी में भरी मानी जावेगी, शेष संवर्ग की सीटें भरी जायेगी।

12.6 आरक्षित स्थान का प्रतिशत् 1 / 2 से कम आता है तो आरक्षित स्थान उपलब्ध नही होगा, 1 / 2 प्रतिशत् एवं एक प्रतिशत् के बीच आने पर आरक्षित स्थान की संख्या एक होगी।

12.7 जम्मू कश्मीर विस्थापितों तथा आश्रितों को 5 प्रतिशत तक सीट वृद्धि कर प्रवेश दिया जाए तथा न्यूनतम अंक में 10 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी।

12.8 समय-समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जावे।

12.9 कंडिका 12.1 में दर्शाई गई आरक्षण के प्रावधान माननीयउच्च न्यायालय बिलासपुर के निर्णय के अध्यधीन रहेगा।

12.10 तृतीय लिंग के व्यक्तियों को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस संबंध में प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू.पी.(सी) 400/2012 नेशनल लीगल सर्विसेस अथॉरिटी विरुद्ध भारत सरकार एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 15.04.2014 की कंडिका 129(3) में यह यह निर्देश दिया गया है कि- "We direct the Center and the State Government to take Steps to treat them as socially and educationally backword classes of citizens and extend all kinds of reservation in cases of admission in educational institutions and public appointments." का कड़ाई से पालन किया जाए।

13. अधिभार :-

अधिभार मात्र गुणानुक्रम निर्धारण के लिये ही प्रदान किया जायेगा,पात्रता प्राप्ति हेतु इसका उपयोग नही किया जायेगा। अहंकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के प्रतिशत पर ही अधिभार देय होगा, अधिभार हेतु समस्त प्रमाण-पत्र प्रवेश आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन पत्र जमा करने के पश्चात् बाद में लाये जाने / जमा किये जाने वाले प्रमाण पत्रों पर अधिभार हेतु विचार नही किया जायेगा, एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर मात्र सर्वाधिक अधिभार ही देय होगा।

13.1 एन.सी.सी. / एन.एस.एस. / स्काउट्स

स्काउट्स शब्द को स्काउट्स / गाईड्स / रेन्जर्स / रोवर्स के अर्थ में पढ़ा जावे।

(क)	एन.एस.एस. / एन.एस.एस "ए" सर्टिफिकेट	02 प्रतिशत्
(ख)	एन.एस.एस. / एन.एस.एस "बी" सर्टिफिकेट या द्वितीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स	03 प्रतिशत
(ग)	"सी" सर्टिफिकेट या तृतीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स	04 प्रतिशत्
(घ)	राज्य स्तरिय संचालनालयीन एन.एसी.एसी. प्रतियोगिता	04 प्रतिशत्
(च)	नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में छत्तीसगढ़ के एन.सी.सी. कटिजेन्स में भाग लेने वाले विद्यार्थी को	05 प्रतिशत्
(छ)	राज्यपाल स्काउट्स	05 प्रतिशत्
(ज)	राष्ट्रपति स्काउट्स	10 प्रतिशत्
(झ)	छत्तीसगढ़ का सर्वश्रेष्ठ एन.सी.सी. कैडेट	10 प्रतिशत्
(ञ)	ड्यूक ऑफ एडिनवर्ग अवार्ड प्राप्त एन.सी.सी. कैडेट	10 प्रतिशत्
(ट)	भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में भाग लेने वाले कैडेट,एन.सी.सी. / एन.एस.एस. के लिए चयनित एवं प्रवास करने वाले कैडेट को अन्तराष्ट्रीय जम्बूरी के लिये चायनित होने वाले विद्यार्थियों को	15 प्रतिशत्

13.2 आनर्स विषय पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण विद्यार्थी को स्नातकोत्तर कक्षा में उसी विषय में प्रवेश लेने पर 10 प्रतिशत्

13.3 खेलकूद / साहित्यिक / सांस्कृतिक / शिविर / स्काउट प्रतियोगिताएं :-

(1) लोक शिक्षण संचालनालय अथवा छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा द्वारा आयोजित अन्तर जिला, संभाग स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंतर संभाग / क्षेत्र स्तर प्रतियोगिता में :-

(क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को — 02 प्रतिशत्

(ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को — 04 प्रतिशत्

(2) उपर्युक्त कंडिका 13.3 (1) में उल्लेखित विभाग / संचालनालय द्वारा आयोजित अन्तर्संभाग राज्य स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अन्तर्क्षेत्रीय राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अथवा भारतीय विश्वविद्यालय संघ ए.आई.यू. द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में अथवा संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित क्षेत्रीय प्रतियोगिता में :-

(क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को — 06 प्रतिशत्

(ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को — 07 प्रतिशत

(ग) संभाग क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को — 05 प्रतिशत्

(3) भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित, संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में :-

(क) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को — 15 प्रतिशत्

(ख) प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान अर्जित करने वाले टीम के सदस्यों को — 12 प्रतिशत्

(ग) क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिभागी को — 10 प्रतिशत्

13.4 भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ अथवा सांईस एवं कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत् विज्ञान / सांस्कृतिक / साहित्यिक / कला क्षेत्र में चयनित एवं प्रवास करने वाले दल के सदस्यों को — 10 प्रतिशत्

13.5 छत्तीसगढ़ / म.प्र. से मान्यता प्राप्त खेल संघो द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में:-

(क) छत्तीसगढ़ / म.प्र. का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम के सदस्य को — 10 प्रतिशत्

(ख) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली छत्तीसगढ़ की टीम के सदस्य को — 12 प्रतिशत्

13.6 जम्मू-कश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को — 01 प्रतिशत्

13.7 विशेष प्रोत्साहन :-

छत्तीसगढ़ राज्य एवं महाविद्यालय के हित में एन.सी.सी / खेलकूद को प्रोत्साहन देने के लिए एन.सी.सी. के राष्ट्रीय स्तर के सर्वश्रेष्ठ कैडेट्स तथा ओलम्पियाड / एशियाड / स्पोर्टस अथारिटी ऑफ इंडिया द्वारा राष्ट्रीय एवं अंतराष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को बगैर गुणानुक्रम के आगामी शिक्षा सत्र में उन कक्षाओं में सीधे प्रवेश दिया जाए जिनकी उन्हे पात्रता है कि :-

(1) इस प्रकार के प्रमाण-पत्रों को संचालक, खेल एवं युवा कल्याण, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अभिप्रमाणित किया गया हो एवं

(2) यह सुविधा केवल उन्ही अभ्यर्थियों को जिन्होनें निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत अपना आवेदन महाविद्यालय में जमा किया है,परन्तु इस प्रकार की सुविधा दुसरी बार प्राप्त करने के लिए उन्हे उपलब्धि पुनः प्राप्त करना आवश्यक होगा।

13.8 प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु स्कूल स्तर के पिछले चार क्रमिक सत्रा तक के प्रमाण पत्रा स्नातकोत्तर प्रथम या विधि प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु विगत तीन क्रमिक सत्रा तक के प्रमाण-पत्र अधिभार हेतु मान्य किये जायेगें। स्नातक द्वितीय, तृतीय वर्ष एवं स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में प्रवेश हेतु पूर्व सत्र के प्रमाण-पत्रा अधिभार हेतु मान्य होंगें।

14 संकाय / विषय / ग्रुप परिवर्तन :-

स्नातक / स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में अर्हकारी परीक्षा के संकाय / विषय / ग्रुप परिवर्तन कर प्रवेश चाहने वाले विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांको से 5 प्रतिशत घटाकर उनका गुणानुक्रम किया जायेगा, अधिभार घटे हुये प्राप्तांको पर तय होगा। महाविद्यालय में स्नातक / स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में एक बार प्रवेश लेने के बाद वर्तमान सत्र के दौरान संकाय / विषय / ग्रुप परिवर्तन की अनुमति महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा 30 सितम्बर तक या विलम्ब से मुख्य परीक्षा परिणाम आने पर कंडिका 2.2 में उल्लेखित प्रवेश की अंतिम तिथि से 15 दिनों तक ही दी जायेगी। उक्त अनुमति उन्हीं विद्यार्थियों को देय होगी जिनके प्राप्तांक संबंधित विषय / संकाय के मूल गुणानुक्रम सूची में अंतिम प्रवेश पाने वाले विद्यार्थी के समकक्ष या उससे अधिक हों।

15 शोध छात्र

शासकीय महाविद्यालयों में पी.एच.डी. के शोध छात्रों को दो वर्ष के लिये प्रवेश दिया जायेगा। पुस्तकालय / प्रायोगिक कार्य अपूर्ण रह जाने की स्थिति में सुपरवाईजर की अनुशंसा पर प्राचार्य इस समयावधि को अधिकतम 04 वर्ष कर सकेंगे। छात्रा निर्धारित आवेदन पत्रा में आवेदन करेंगे, प्रवेश के बाद निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद ही नियमित प्रवेश मान्य किया जावेगा। शोध छात्रा के लिये संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा पी.एच.डी. निर्देशन हेतु महाविद्यालय में पदस्थ मान्य प्राध्यापक सुपरवाईजर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों के अन्तर्गत ही अपना शोध कार्य संपादन करेंगे। अध्ययन अवकाश लेकर कोई शिक्षक यदि शोध छात्रा के रूप में कार्यरत् है,तो सक्षम अधिकारी द्वारा प्रेषितउपस्थिति प्रमाण-पत्र एवं प्रति तीन माह की कार्य प्रगति रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही वेतन आहरण अधिकारी द्वारा शोध शिक्षक का वेतन आहरित किया जावेगा।

महाविद्यालय में पदस्थ प्राध्यापक सुपरवाईजर के अन्यत्रा स्थानान्तरण हो जाने की स्थिति में शोध छात्रा ऐसे संस्था में अपना शोध कार्य चालू रख सकते है जहां से उनका शोध आवेदन पत्रा अग्रेषित किया गया था, शोध कार्य पूर्ण हो जाने के उपरान्त शोध का प्रबंध उसी महाविद्यालयों के प्राचार्य अग्रेषित करेगें।

16 विशेष :-

16.1 जाली प्रमाण-पत्रों, गलत जानकारी, जानबुझकर छिपाये गये प्रतिकूल तथ्यों,प्रशासकीय अथवा कार्यालयीन असावधानीवश यदि किसी आवेदक को प्रवेश मिल गया है, तो ऐसे प्रवेश को निरस्त करने का पूर्ण दायित्व प्राचार्य का होगा।

16.2 प्रवेश लेकर किसी समुचित कारण,पूर्व अनुमति या सूचना के बिना लगातार एक माह या अधिक समय तक अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थी को प्रवेश निरस्त करने का अधिकार प्रचार्य को होगा।

16.3 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान कंडिका 9.2 एवं 9.3 में वर्णित अनुशासनहिनता के प्रकरणों में लिप्त विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने अथवा उसे निरकासित करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।

16.4 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय छोड़ देने अथवा उसका प्रवेश निरस्त होने अथवा उसका निष्कासन किये जाने की स्थिति में विद्यार्थी को संरक्षित निधि के अतिरिक्त अन्य कोई शुल्क वापिस नही किया जायेगा।

16.5 प्रवेश के मार्गदर्शक सिद्धांतो के स्पष्टीकरण या प्रवेश संबंधि किसी प्रकरण में मार्गदर्शन की आवश्यकता होने पर प्राचार्य प्रकरण में अनिवार्य रूप से स्पष्ट टीप व अभिमत देते हुए स्पटीकरण / मार्गदर्शन आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तसगढ़ रायपुर से प्राप्त करेगें, प्रवेश संबंधि किसी भी प्रकरण को केवल अग्रेषित लिखकर प्रेषित न किया जाये।

16.6 इन मार्गदर्शक सिद्धांतो में उल्लेखित प्रावधानों की व्याख्या करने का अधिकार आयुक्त ,उच्च शिक्षा विभाग को है। इन मार्गदर्शक सिद्धांतो में समय-समय पर परिवर्तन / संशोधन / निरसन / संलग्न का संपूर्ण अधिकार छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय को होगा।

(डॉ ए के पाण्डेय)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
छ ग शासन, उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, नया रायपुर (छ ग)

(डॉ आर वी सुब्रमनियम)
अपर संचालक
उच्च शिक्षा संचालनालय
नया रायपुर (छ ग)

संस्था में पढ़ाये जाने वाले संकाय एवं विषयः-

क्रमांक	कक्षा	पढ़ाये जाने वाले विषय	छात्र संख्या
01.	बी.एस–सी.भाग–एक	आ.पा.,वनस्पति, प्राणीशास्त्र, रसायन शास्त्र, पर्यावरण अध्ययन .	60
	बी.एस–सी.भाग–दो	आ.पा.,वनस्पति, प्राणीशास्त्र, रसायन शास्त्र,	60
	बी.एस–सी.भाग–तीन	आ.पा.,वनस्पति, प्राणीशास्त्र, रसायन शास्त्र,	60
02.	बी.कॉम. भाग–एक	अनिवार्य सभी विषय	40
	बी.कॉम. भाग–दो	अनिवार्य सभी विषय	40
	बी.कॉम. भाग–तीन	अनिवार्य सभी विषय	40
03.	बी.ए.भाग–एक	आ.पा., पर्यावरण अध्ययन, ;हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य; समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र – कोई तीनद्ध	120
	बी.ए.भाग–दो	आ.पा., हिन्दी साहित्य , अंग्रेजी साहित्य, समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र	120
	बी.ए.भाग–तीन	आ.पा., हिन्दी साहित्य , अंग्रेजी साहित्य, समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र,राजनीतिशास्त्र	120

राष्ट्रीय सेवा योजना

भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, युवा कार्यक्रम एवं खेलकुद विभाग तथा छ0ग0 सरकार के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा यह योजना वि0वि0 के माध्यम से महाविद्यालयों में छात्र/छात्राओं के सर्वांगिण व्यक्तित्व एवं चरित्र के विकास तथा उनमें लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण के उन्नयन के लिये संचालित की जाती है। 240 घंटे की सेवा कार्य सम्पन्न करने पर विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय से प्रमाण पत्र मिलता है।जो प्रवेश,रोजगार आदि में सहायक होता है समाज सेवा के अंतर्गत विद्यार्थियों से श्रमदान,वृक्षारोपण एवं व्यक्तित्व विकास आदि गतिविधियो में प्रशिक्षित किया जाता है। राष्ट्रीय सेवा योजना में विद्यार्थियो को प्रवेश योग्यतानुसार दिया जावेगा । कार्यक्रम अधिकारी की अनुशंसा पर राष्ट्रीय सेवा योजना सलाहकार समिति व प्राचार्य का निर्णय अंतिम होगा। राष्ट्रीय सेवा योजना से संबंधित जानकारी के लिये कार्यक्रम अधिकारी से संपर्क करें।

शुल्क के प्रकार एवं दर

टिप्पणी:– छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग अथवा महाविद्यालय स्थानीय प्रबंधन समिति या उच्च समकक्ष सक्षम समिति के निर्णयानुसार शुल्क में परिवर्तन हो सकता है।

महाविद्यालय में छात्र को जिस दिन प्रवेश दिया जावेगा उसी दिन से तालिका में बताये अनुसार शुल्क पटाना होगा। प्रवेश के अवसर पर देय शुल्क राशि तालिका:–

शुल्क के प्रकार	बी.ए. भाग 1,2,3.	बी.कॉम. भाग 1,2,3	बी.एस–सी भाग 1,2,3
(अ) शासकीय शुल्क			
1. शिक्षण शुल्क	115=00	115=00	115=00
2. प्रयोगशाला शुल्क	–	–	20=00
3. प्रवेश शुल्क	03=00	03=00	03=00
4. स्टेशनरी शुल्क	05=00	05=00	05=00
(ब) अशासकीय शुल्क			
1. छात्रसंघ प्रवेश शुल्क	02=00	02=00	02=00
2. महाविद्यालय विकास शुल्क	25=00	25=00	25=00
3. सम्मिलित निधि / यूनियन गतिविधि	32=00	32=00	32=00
4. सोशल गेदरिंग शुल्क	05=00	05=00	05=00
5. कामन रूम शुल्क	20=00	20=00	20=00
6. निर्धन छात्र कल्याण शुल्क	05=00	05=00	05=00
7. परिचय पत्र शुल्क	01=00	01=00	01=00
8. चिकित्सा शुल्क	03=00	03=00	03=00
9. सुरक्षित निधि	60=00	60=00	60=00
10. विश्वविद्यालय नामांकन शुल्क	100=00	100=00	100=00
11. शारीरिक कल्याण निधि शुल्क	150=00	150=00	150=00
12. युवागतिविधि शुल्क	01=00	01=00	01=00
13. छात्र कल्याण शुल्क	10=00	10=00	10=00
14. विश्वविद्यालय पुस्तकालय शुल्क	20=00	20=00	20=00
15. रेडक्रास शुल्क	25=00	25=00	25=00
16. छात्र बीमा शुल्क	04=00	04=00	04=00

महाविद्यालय का रोट अप के अनुसार पदों की जानकारी :-

क्रमांक	पद	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद	रिमार्क
01.	प्राचार्य	–01	00	01	–
02.	सहायक प्राध्यापक				
	प्राणीशास्त्र	–01	01	–	–
	वनस्पतिशात्र	–01	–	01	–
	रसायनशास्त्र	–01	01	–	–
	हिन्दी	–01	–	01	
	अंग्रेजी	–01	–	01	–
	राजनीतिशास्त्र–	01	01	–	–
	समाजशास्त्र	–01	–	01	–
	अर्थशास्त्र	–01	–	01	–
	वाणिज्य	–02	00	02	
03.	सहायक ग्रेड–1	–01	01	–	
04.	सहायक ग्रेड–2	–01	01	–	
05.	सहायक ग्रेड–3	–01	–	– 01	
06.	प्रयो. तकनीशियन	– 03	02	– 01	
07.	भृत्य	–02	– 02	. 00	
	कुलः–	19	09	10	

प्राध्यापक सूची एवं कार्यालयीन स्टॉफ

डॉ० आर०के० बरेठ

कला संकाय

हिन्दी विभाग	1. रिक्त पद	: सहायक प्राध्यापक
अंग्रेजी विभाग	1. रिक्त पद	: सहायक प्राध्यापक
राजनीति शास्त्र विभाग	1. डॉ० आर०के० बरेठ	: सहायक प्राध्यापक
समाज शास्त्र विभाग	1. रिक्त पद	: सहायक प्राध्यापक
अर्थशास्त्र विभाग	1. रिक्त पद	: सहायक प्राध्यापक

विज्ञान संकाय

रसायन शास्त्र विभाग	1. डॉ० वाई०के०चंद्रा	: राहायक प्राध्यापक
प्राणीशास्त्र विभाग	1. श्रीमती दीपिका टोप्पो	: सहायक प्राध्यापक
वनस्पतिशास्त्र विभाग	1. रिक्त पद	: सहायक प्राध्यापक

वाणिज्य संकाय

	: 2 रिक्त पद	: सहायक प्राध्यापक

कार्यालयीन स्टॉफ

मुख्य लिपिक	सहायक ग्रेड–1	: श्री फ्रांसिस केरकेट्टा
	सहायक ग्रेड–2	: श्री निर्मल तिग्गा
	सहायक ग्रेड–3	: रिक्त
प्रयोगशाला तकनीशियन	1. श्री डी०आर०भगत	
	2. श्री उमेश ओहदार	
	3. रिक्त	
भृत्य	1. श्री सुरेन्द्र साय पैंकरा	
	2. श्री सुरेन्द्र राम	

विद्यार्थियों के लिए आचार संहिता

संचालक महाविद्यालय शिक्षा मध्यप्रदेश ने अपने ज्ञापन क्रमांक 2712–2030/20 म.शि.संस्था भोपाल 3.9.1976 द्वारा छात्रों के लिए निम्नलिखित आचार संहिता का निर्धारण किया गया है। यही नियम नये छत्तीसगढ़ राज्य में भी लागू होगा–

1. प्रत्येक छात्र अपना पूरा ध्यान महाविद्यालय की व्यवस्था के अंतर्गत अध्ययन में लगायें साथ ही महाविद्यालय द्वारा आयोजित अथवा अनुमोदित पाठ्योत्तर कार्यक्रमों में भी पूरा सहयोग देगा।

2. महाविद्यालय की सम्पत्ति, भवन, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, छात्रावास आदि की शांति, सुव्यवस्था, सुरक्षा एवं स्वच्छता में प्रत्येक छात्र रुचि लेगा और उन्हें कायम रखने व सुधारने में सहकार्य देगा। इसके विपरीत किसी भी प्रवृत्ति में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में न तो भाग लेगा न ही दूसरों को उकसायेगा।

3. महाविद्यालय द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं में वह पूरी तरह सहयोग देगा और भाग लेगा और बिना प्राचार्य की अनुमति से कक्षा अथवा परीक्षा में अनुपस्थित नहीं रहेगा।

4. प्रत्येक छात्र अपने व्यवहार में सहपाठियों और शिक्षकों से नम्रता का व्यवहार करेगा और कभी अश्लील, अशिष्ट या अशोभनीय व्यवहार नहीं करेगा।

5. छात्रों को सरल, निर्व्यसन और मितव्ययी जीवन ही बिताना चाहिए। अतएव विशेषतः कालेज व छात्रावास की सभाओं में किसी भी प्रकार के मादक पदार्थ का सेवन सर्वथा वर्ज्य होगा। वेशभूषा में भी छात्रों को तड़क–भड़क विलासित शोभा नहीं देता इसका ध्यान रखना होगा।

6. छात्रों को कोई कठिनाई हो तो गुरूजन अथवा प्राचार्य के समक्ष निर्धारित प्रणाली से और शांति पूर्वक ही अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होगा।

7. आंदोलन, हिंसा अथवा आतंक द्वारा किसी भी कठिनाई को हल करने का मार्ग नहीं अपनायेगा।

8. छात्र सक्रिय दलगत राजनीति में भाग नहीं लेंगे और अपनी समस्याओं के निदान में राजनैतिक दलों, कार्यकर्ताओं अथवा समाचार पत्रों आदि के माध्यम से हस्तक्षेप या सहायता नहीं मांगेंगे।

9. कक्षाओं में या उनके संबंध में किसी प्रकार से अनुचित लाभ अथवा अनुचित साधनों के प्रयोग का प्रयत्न गंभीर दुराचरण माना जायेगा। परीक्षा संबंधी नियमों व सूचनाओं एवं ज्ञातव्य बातों का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा।

10. महाविद्यालय की प्रतिष्ठा और कीर्ति जिस प्रकार बढ़े और उसकी गरिमा खण्डित न हो ऐसा अनुशासित व्यवहार छात्रों से अपेक्षित है।

11. आचरण के इस साधारण नियमों के भंग होने पर छात्रों को चाहिए कि दोषी व्यक्ति को दंड देने में सहयोग दें जिससे महाविद्यालय का प्राथमिक कार्य अध्ययन शांति और मनोयोग के साथ चल सके।

12. छात्रों को यह सावधानी रखनी पड़ेगी कि किसी अनैतिकता मूलक या अन्य गंभीर अपराध का अभियोग उन पर न लगे परंतु यदि ऐसा हुआ तो उनका नाम तत्काल कालेज की पंजी से हटा दिया जावेगा और वे कालेज में किसी भी छात्र प्रतिनिधि के पद बने नहीं रह सकेंगे।

13. महाविद्यालय परिसर में रैगिंग करने वाले छात्रों पर कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी और महाविद्यालय से निलम्बित कर दिया जावेगा। इस वर्ष से माननीय सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली, छत्तीसगढ़ राज्य मानवाधिकार आयोग रायपुर, महामहिम राज्यपाल छत्तीसगढ़ रायपुर, छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग तथा छत्तीसगढ़ विधानसभा में पारित प्रतिबंध रैगिंग संबंधी नियम एवं अध्यादेश सभी छात्र/छात्राओं पर लागू हो गया है।

14. छात्र/छात्राएं महाविद्यालय से जो रेल्वे कन्शेसन की सुविधा प्राप्त करते है, उपयोगिता के पश्चात् वे उसका प्रमाण महाविद्यालय के प्राचार्य के पास लिखित दस्तावेज के साथ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर प्रस्तुत करेंगे। रेल्वे रियायती सुविधा का दुरूपयोग करने वाले विद्यार्थी नियमानुसार दण्ड तथा वैधानिक कार्यवाही के पात्र होंगे।

परीक्षा संबंधी नियमः–

1. विद्यार्थी को सत्र के दौरान होने वाली सभी इकाई परीक्षाओं,त्रैमासिक तथा अर्धवार्षिक परीक्षाओं में सम्मिलित होना अनिवार्य है।

परीक्षा में या उसके सम्बध में किसी प्रकार के अनुचित लाभ होने या अनुचित साधनों का प्रयोग करने का प्रयत्न गंभीर दुराचरण माना जावेगा।जिस पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

आंतरिक परीक्षाओं का कार्यक्रम

1.	प्रथम यूनिट परीक्षा	–
2.	द्वितीय यूनिट परीक्षा	–
3.	प्रथम सत्र परीक्षा	–
4.	तृतीय यूनिट परीक्षा	–
5.	द्वितीय सत्र परीक्षा	–
6.	चतुर्थ यूनिट परीक्षा	–
7.	प्री–फाइनल परीक्षा	–

नोटः– आंतरिक परीक्षाओं की तिथि बाद में घोषित की जायेगी।

छात्रवृत्ति

महाविद्यालय स्तर पर भारत सरकार एवं छ.ग. शासन द्वारा प्रदान की जाने वाली छात्रवृत्तियां दी जाती है।

आवेदन पत्र के साथ प्रवेशार्थी छात्र निम्नलिखित अभिलेख संलग्न करें :–

1. शाला अथवा महाविद्यालय का मूल प्रति स्थानांतरण प्रमाण–पत्र तथा एक अतिरिक्त सत्यापित प्रति जहा छात्र ने अध्ययन किया है। चयन सूची जारी होने पर निर्धारित तिथि में तत्काल शुल्क जमा करें।अंतिम तिथि देखने एवं ध्यान में रखने की जिम्मेदारी विद्यार्थी की स्वंय की होगी। अंतिम तिथि तक फीस जमा नहीं कर पाने पर निर्धारित विलम्ब शुल्क प्रवेशार्थी को देना होगा।यदि विलम्ब शुल्क की तिथि भी समाप्त होती है तो वह चयन सूची निरस्त मानी जाकर अगली प्रवेश सूची जारी की जावेगी।
2. 10 बोर्ड के बाद गत सभी परीक्षाओं की अंकसूची दो प्रमाणित प्रति में ।
3. पिछली शाला या महाविद्यालय जिसमें अध्ययन किया हो का चरित्र प्रमाण पत्र एवं अध्ययन चरित्र प्रमाण पत्र जो छः माह पूर्व कान हो मूलप्रति
4. प्रथम बार प्रवेश लेने वाले छात्र निवास प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति भी जमा करें।
5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अपिव के विद्यार्थी सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित /सत्यापित प्रति जमा करें।
6. अन्य शैक्षणेत्तर गतिविधियों की जानकारी यदि हो तो इन जानकारियों को प्रवेश के संबंधित प्राध्यापकों के पास भी संबंधित क्षेत्रों में अपने व्यक्तिगत उन्नयन के लिये जमा करें।

छात्रावास

महाविद्यालय में अध्ययनरत अनुसूचित जाति/जनजाति छात्राओं के आवास व्यवस्था हेतु आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा बालक एवं बालिकाओं का पोस्ट मैंट्रिक छात्रावास संचालित हैं।

नियमित विद्यार्थी के रूप में वार्षिक परीक्षा में बैठने की पात्रता

1. प्रत्येक विषय में 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य ।
2. कुल 7 आंतरिक परीक्षाओं में से कम से कम 5 में सम्मिलित होना आवश्यक ।
3. एन.सी.सी./ एन.एस.एस.कैम्प/ खेलकूद/राज्य स्तरीय प्रतिस्पर्धाओं में सम्मिलित हुए छात्रों को उपस्थित माना जावेगा।
4. उपस्थिति की प्रथम गणना 31.10.2015 तक की जावेगी ।
5. कम उपस्थिति वाले छात्रों को तथा उनके पालकों को सूचना दी जावेगी।
6. उपस्थिति की द्वितीय गणना 12.02.2016 तक की जावेगी।
7. विश्वविद्यालय अपने स्तर पर इनसे अतिरिक्त शुल्क ले सकेंगे।

Government Sant Rameshwar Gahira Guru Ji Colleg

Bagicha, Distt.- Jashpur (C.G.) Tel- 07769-210234

Establishment Year - 2007-08

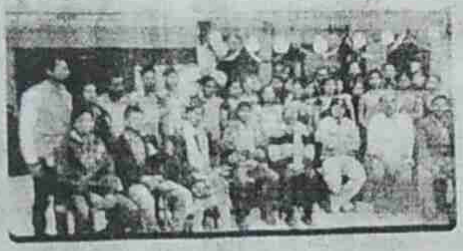

Government Sant Rameshwar Gahira Guru Ji College

Bagicha, Distt.- Jashpur (C.G.) Tel- 07769-210234

Establishment Year - 2007-08

Principal
Govt.Sant Rameshwar
Gahira Guru ji College
Bagicha, Dist.-Jashpur (C.G.)